Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जिला सवाईमाधोपुर में सहायक अभियंता को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार तथा ग्राम विकास अधिकारी बौली एवं ग्राम विकास अधिकारी गंभीरा को भी रिश्वत मांगने पर किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *25 फरवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जयपुर नगर तृतीय इकाई द्वारा आज गुरूवार को कार्यवाही करते हुये सवाईमाधोपुर जिला परिषद सहायक अभियंता (एईएन) हेमराज मीणा को 30 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया एवं ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति बौली इन्द्राज गढ़वाल एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गंभीरा पंचायत समिति बौली धूलचंद को भी इसी मामले में रिश्वत मांगने की एवज में गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि वर्ष 2015 से 2020 तक उसके सरंपच कार्यकाल में हुए कार्यों के संबंध में पंचायत समिति बौली पर जारी ऑडिट टीम के लिए तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी इन्द्राज गढवाल व वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी धूलचंद मीणा द्वारा रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है एवं उसके कार्यकाल में हुए कार्यों की माप पुस्तिका प्रमाणित करने की एवज में तत्कालीन सहायक अभियंता हेमराज मीणा द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है।

इस पर एसीबी की जयपुर नगर तृतीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु** के नेतृत्व में शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी हेमराज मीणा द्वारा 40 हजार रूपये की मांग करते हुये 10 हजार रूपये प्राप्त किये एवं धूलचंद व इन्द्राज द्वारा ऑडिट टीम को देने के लिए परिवादी से 60 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई। जिस पर आज एसीबी जयपुर नगर तृतीय की टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी **हेमराज मीणा** पुत्र श्री अल्फूराम मीणा, नि0 मं.नं. 81, पटेल नगर, सवाईमाधोपुर **हाल सहायक अभियंता जिला परिषद सवाईमाधोपुर** को परिवादी से रिश्वत राशि **30 हजार रूपये** लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है एवं आरोपीगण **इन्द्राज गढवाल** पुत्र श्री जवाहर लाल नि0 गांव बीडसर, पुलिस थाना बलारा, जिला सीकर **हाल ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति बौली सवाईमाधोपुर** तथा **धूलचंद मीणा** पुत्र श्री शंकरलाल नि0 गांव पोस्ट कोडयाई पुलिस थाना बौली जिला सवाईमाधोपुर **हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गंभीरा पंचायत समिति बौली सवाईमाधोपुर** को ऑडिट करवाने की एवज में परिवादी से रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।